वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

पत्र संख्या- 70/2025 *दिनांक- 24.02.2025*

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक-24.02.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना-बरदहः- मारपीट में फायरिंग करने वाले 03 अभियुक्त अवैध तमंचा के साथ गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 23.02.25 समय 00.04 बजे वादी श्रीकान्त चौहान S/O शिवआसरे चौहान ग्राम भगवानपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दिया गया कि दिनांक 22/02/2025 शाम लगभग 07.20 बजे दो गाड़ियों जिसमें एक स्कार्पियों जिसका नम्बर UP 61 AF 7701 है तथा एक गाड़ी स्विफ्ट डिजायर हैं, से 08-09 लोग वादी के शोरूम व चाय वाटिका दुकान के सामने गाड़ी खड़ी करके वादी के घर के गेट के सामने पेशाब करने लगे। जिन्हे वादी द्वारा ऐसा करने से मना करने पर 03-04 लोग नाम पता अज्ञात द्वारा मिलकर वादी को मारने लगे। वादी द्वारा शोर करने पर वादी को बचाने के लिये उसके परिवार के लोग आये तो उक्त लोग असलहे से फायर करने लगे तथा उक्त लोगों नें मिलकर हमारे सभी भाई रामाकान्त ,उमाकान्त व छोटे भाई शशिकान्त चौहान तथा बडे पिता के लड़के घनश्याम चौहान को मारे जिससे हमारे सभी भाई लोग घायल हो गये। उक्त लोग गाली गुप्ता तथा जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 51/25 धारा 3(5),109,351(2),352 BNS बनाम अज्ञात (वाहन संख्या UP 61AF7701 स्कार्पियों) के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरणः-

आज दिनांक 24.02.2025 को उ0नि0 उमेशचन्द्र यादव मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तों की स्कार्पिय नं0 UP 61 AF 7701 को लसढ़ाखुर्द पुलिया से समय करीब 10.55 बजे पकड़ा गया। स्कार्पियो में तीन लोग क्रमशः 01. आकाश राय उर्फ गोलू पुत्र कौशल राय निवासी खरकौली थाना दोहरीघाट, जनपद मऊ जिसके कब्जे से एक अदद पिस्टल 32 बोर बरामद हुआ। 02. हिमांशु राय पुत्र संतोष राय निवासी बुढावल थाना दोहरीघाट , जनपद मऊ। 03. गणेश यादव पुत्र गोरख यादव निवासी ग्राम उसरी खुर्द थाना दोहरीघाट, जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया। जिनके द्वारा पूँछताछ में बताया गया कि दिनांक 22.02.25 ग्राम भगवानपुर चाय वाटिका दुकान के सामने हुई मारपीट व फायरिंग की घटना में हम लोग शामिल थे। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण/आपराधिक इतिहासः-

आकाश राय उर्फ गोलू पुत्र कौशल राय निवासी ग्राम खरकौली थाना दोहरीघाट , जनपद मऊ

1. मु0अ0सं0 240/24 धारा 115(2),118,333,351(2),352 बीएनएस थाना दोहरी घाट जनपद मऊ
2. मु0अ0सं0 294/18 धारा 323/504/506 भादवि थाना दोहरीघाट जनपद मऊ
3. मु0अ0सं0 51/25 धारा 3(5),109,351(2),352 BNS, 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह जनपद आजमगढ़

हिमांशु राय पुत्र संतोष राय निवासी बुढावल थाना दोहरीघाट , जनपद मऊ

01. मु0अ0सं0 51/25 धारा 3(5),109,351(2),352 BNS, 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह जनपद आजमगढ़

गणेश यादव पुत्र गोरख यादव निवासी ग्राम उसरी खुर्द थाना दोहरीघाट , जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया।

1. मु0अ0सं0 172/23 धारा 323/324/427/504/506 भादवि
2. मु0अ0सं0 230/18 धारा 143, 147, 186, 188, 336, 341, 353, 427, 504 भादवि
3. मु0अ0सं0 51/25 धारा 3(5),109,351(2),352 BNS, 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरणः-

1. एक अदद पिस्टल 32 बोर का (अभियुक्त आकाश राय उर्फ गोलू के कब्जे से)
2. स्कार्पियों वाहन नं0 UP 61AF7701

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि घटना के दिन दिनांक 22.02.25 की शाम को हम तीनों लोग व हमारे साथी मिलकर ग्राम भगवानपुर मे चाय वाटिक के सामने कहासुनी होने पर मारपीट तथा फायरिंग किये थे। इस पूरे घटना में हमारे दो अन्य साथी भी शामिल थे।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 उमेशचन्द्र यादव थाना बरदह, आजमगढ़।
2. उ0नि0 अम्बुज कुमार राही थाना बरदह, आजमगढ़।
3. उ0नि0 महेन्द्र प्रताप सिंह थाना बरदह, आजमगढ़।
4. का0 राजेन्द्र कुशवाहा थाना बरदह, आजमगढ़।

02.थाना-सरायमीरः-आत्महत्या के लिए उकसाने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 23.02.2025 को वादी देववरन यादव पुत्र चनरधन यादव ग्रा0 विशेषरपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ मय हमराह सतेन्द्र यादव पुत्र स्व0 श्रीपत यादव, विपिन विश्वकर्मा पुत्र सूरज विश्वकर्मा, शिवम् विश्वकर्मा पुत्र स्व0 शोभनाथ विश्वकर्मा निवासीगण विशेषरपुर थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना आकर लिखित तहरीर दिया गया कि वादी की पुत्री रीना उम्र 27 वर्ष की शादी करीब 08 वर्ष पूर्व इन्द्रभान यादव सा0 करछा थाना सरायमीर आजमगढ़ के साथ हुयी थी। वादी की पुत्री के पति इन्द्रभान, ससुर जियालाल, सास चन्द्रावती, ननद शमा, भांजी ब्यूटी, जेठानी रीता द्वारा दहेज के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से वादी की पुत्री को प्रताड़ित किया जाता था जिससे क्षुब्ध होकर दिनांक 23.02.25 को 14.00 बजे वादी की पुत्री द्वारा फांसी लगा लिया गया। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 69/25 धारा 108 बीएनएस बनाम 1. इन्द्रभान यादव पुत्र जियालाल (पति), 2. जियालाल यादव पुत्र अज्ञात (ससुर), 3. चन्द्रावति पत्नी जियालाल (सास), 4. रामा पुत्री जियालाल (ननद) निवासीगण ग्राम करछा थाना सरायमीर आजमगढ़, 5. ब्यूटी पुत्री पप्पू ग्रा0 भेडीया थाना फूलपुर आजमगढ़ (भांजी), 6. रीता पत्नी चन्द्रभान ग्रा0 करछा थाना सरायमीर आजमगढ़ (जेठानी) के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 24.02.2025 को उ0नि0 बासुदेव साहनी मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तों 1.इन्द्रभान यादव पुत्र जियालाल यादव सा0 करछा थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ 2. जियालाल यादव पुत्र स्व0 खुरभूर सा0 करछा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ 3. चन्द्रावती देवी पत्नी जियालाल यादव सा0 करछा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को करछा मन्दिर के पास मेन रोड़ से समय करीब 13.50 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

03.थाना-मेंहनगर:-धोखाधडी कर गबन करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण:-

दिनांक 15.10.2024 को प्रार्थिनी प्रीति कुमारी व ज्योति कुमारी पुत्रीगण स्व0 बाबूलाल सा0 खुटवा चक खुटवा थाना व तहसील मेंहनगर जिला-आजमगढ़ द्वारा तहरीर दिया गया कि वादिनी छात्रा हैं, जो सन् 2022 में अपने सुमंगली का फार्म भरने हेतु मेंहनगर बाजार स्थित जन सेवा केन्द्र शिखा कम्प्यूटर के पास गई जहाँ जनसेवा केन्द्र संचालक राजीव राही द्वारा फर्जी रुप से मुझ प्रार्थिनीगण का खाता फिनो बैंक में खोल दिया गया और वादिनी के मोबाइल नम्बर के स्थान पर किसी दूसरे का मोबाइल नम्बर अंकित कर दिया गया और सांत्वना दी गयी कि तुम्हारा छात्रवृत्ति व सुमंगला फार्म भरा जा रहा है। मुझे भ्रमित करके फर्जी रुप से छात्रवृत्ति फार्म व सुमंगला फार्म भरवाने के नाम पर खाता खुलवा दिया गया, इसकी जानकारी मुझे 02 महीना पहले हुई जब मैं पुनः छात्रवृत्ति फार्म भरने गयी तो दूसरे जनसेवा केन्द्र संचालक द्वारा कहा कि तुम्हारा तो फेनो बैंक मे पहले से खाता खुला हुआ है उसी में तुम्हारे छात्र वृत्ति के फार्म भर देता हूँ तब मैने कहा कि मेरे द्वारा पहले फीनो बैंक में कभी खाता नहीं खुलवाया गया है। जब मेरे द्वार फीनो बैंक में जो खाता खुला था उसका विवरण निकाला गया तो पता चला की मुख्यमन्त्री विवाह योजना के तहत हम बहनों के खातों में 35000-35000 रुपया आया हुआ था और किसी के द्वारा पैसा निकाल भी लिया गया है यह पैसा जनसेवा केन्द्र संचालक राजीव राही द्वारा ही निकाला गया है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 426/2024 धारा 409/420 IPC बनाम राजीव राही जनसेवाकेन्द्र संचालक पता अज्ञात थाना मेंहनगर, आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण:-

आज दिनांक 24.02.25 को निरीक्षक जयप्रकाश यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त राजीव राही पुत्र मेवालाल निवासी खुटवा चक खुटवा थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ को देवईत बाजार से समय करीब 13.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

प्रेस-विज्ञप्ति

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा सर्किल नगर व लालगंज के समस्त विवेचकों का ओ0आर कर दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय आजमगढ़ में जनपद के नगर व लालगंज सर्किल में नियुक्त समस्त विवेचकों का ओ0आर0 कर विवेचना की प्रगति के संबंध में समीक्षा की गई साथ ही आंशिक विवेचना एवं पुनः विवेचना के लंबित अभियोगों के शीघ्र व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेन्द्र लाल, सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी लालगंज शुभम अग्रवाल व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- बिलरियागंज

पुलिस अधीक्षक ने धोखाधड़ी में वांछित/फरार 01 अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु 15 हजार रूपये का नगद पुरस्कार किया घोषित

➡दिनांक- 21.01.23 को वादी मुकदमा के साथ अभियुक्त द्वारा बिभिन्न तिथियों में लगभग 01 करोड रूपये का धोखाधडी किया गया। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 40/23 धारा 406/420 भादवि पंजीकृत हुआ था।

➡ दिनांक-24.02.2025 को * **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना*** द्वारा ***थाना बिलरियागंज*** पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 40/23 धारा 406,420 भादवि से सम्बन्धित *वांछित/फरार एक अभियुक्त विजय गुप्ता उर्फ लल्लू पुत्र स्व0 प्रेमशंकर गुप्ता निवासी मोहल्ला कोट बाजबहादुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़* की गिरफ्तारी हेतु *जनपद स्तर से अभियुक्त पर 15 हजार रूपये का नकद* पुरस्कार घोषित किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आपराधिक (धोखाधड़ी) से सम्बन्धित 01 गैंग के 03 सदस्यों को किया सूचीबद्ध

दिनांक- 24.02.2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा आपराधिक (धोखाधड़ी) से सम्बन्धित 01 गैंग पंजीकरण कराया गया। जिसमें आपराधिक (धोखाधड़ी) से 03 अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु उपरोक्त गैंग को जनपद स्तर पर सूचीबद्ध किया गया है।

➡पंजीकृत गैंग का विवरण निम्नवत है-

➡ 1- थाना सरायमीरः अभियुक्त परवेज अहमद पुत्र अशफाक अहमद निवासी शेरवां थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र 49 वर्ष जो वर्तमान समय में जनपद आजमगढ़ में एक संगठित गैंग बनाकर व स्वयं गैंग का लीडर बनकर आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ के लिए एक धोखाधडी करने जैसे अपराध कारित कर रहा है। इनकी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु गैंग को जनपद स्तर पर “सूचीबद्ध” (आपराधिक गैंग) किया गया है। जिसका सदस्य

01. नसीम अहमद पुत्र मैनुद्दीन निवासी शेरवां थाना सरायमीर आजमगढ़ उम्र 57 वर्ष

02. दिवाकर सिंह पुत्र जिलेदार सिंह निवासी गोकुलपुर खानकाह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र 57 वर्ष है। इसका कोड नं0- “डी- 258” होगा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा किया गया थाना मुबारकपुर का वार्षिक निरीक्षण

आज दिनांक 24.02.2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा थाना मुबारकपुर का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेन्द्र लाल, सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर अनन्त चन्द्रशेखर व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे। जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गये –

➡थानाध्यक्ष मुबारकपुर द्वारा सलामी गार्द की कमाण्ड उच्च कोटि की पायी गयी।

➡थाना कार्यालय में अभिलेखो का अवलोकन किया गया, अभिलेखों के अवलोकन से प्रविष्टिया अद्यावधिक न होने पर पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

➡हिस्ट्रीशीटरों की निरन्तर निगरानी किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

➡शस्त्र चालन के सम्बन्ध में उपस्थित अधिकारी/कर्मचारीगणों की जानकारी लिया गया तथा इनको बार-बार अभ्यास की आवश्यकता कराये जाने की बात कही।

➡थाना परिसर की साफ-सफाई संतोष जनक पायी गयी ।

➡थानाध्यक्ष मुबारकपुर को अपने अधीनस्थों की समस्या का निस्तारण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया ।

➡मेस में भोजन बनाने वाले अनुचर को स्वयं साफ सफाई रखने एवं मेन्यू के अनुसार ही प्रतिदिन भोजन समय से तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया ।

➡आपराधिक सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु ब्रीफ किया गया व गोष्ठी में यातायात व्यवस्था,यातायात नियमों का पालन, सामाजिक सौहार्द बनाये रखने हेतु कम्यूनिटी पुलिसिंग के तहत किये जाने वाले कार्य आपराधिक सूचनाओं के आदान-प्रदान में बेहतर तालमेल रखा जाय ।

➡थाना परिसर में खड़े वाहनों को नियमानुसार निस्तारण किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

➡ थाना प्रांगण में आये फरियादियो से वार्ता कर उनकी समस्याओ को गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण हेतु थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया ।

➡ एआरटीओ के द्वारा चालानी वाहनों के सम्बन्ध में नियमानुसार पत्राचार कर उनका निस्तारण करना सुनिश्चित करें ।

➡अवैध शराब एवं मादक पदार्थ किसी भी दशा में बिक्री नही होने पाये, अवैध शराब बनाने व बेचने वालों पर नियमानुसार कार्यवाही किया जाये ।

➡ यातायात में जाम की स्थिति से निपटने के लिए यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने हेतु निर्देशित किया गया

➡आगामी त्यौहारों पर शान्ति व्यवस्था हेतु नियमित रूप से पैदल गस्त करने व वाहन चेकिंग करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया ।

➡गली, मोहल्लों व सड़कों पर अवैध अतिक्रमण हटाने हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।

➡ आगामी त्योहार महाशिवरात्रि, होली एवं रमजान के दृष्टिगत थाना स्थानीय क्षेत्र के वरिष्ठ एवं सम्भ्रान्त व्यक्तियों के साथ गोष्ठी की गई तथा उनकी समस्याओं को सुना गया व सम्बन्धित को समस्या निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया ।

➡ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना क्षेत्र के चौकीदारों के साथ गोष्ठी कर उनकी समस्या को सुना गया तथा उन्हें अंग वस्त्र प्रदान किया गया।

➡ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाना परिसर में थाना गेट, बैडमिंटन कोर्ट, वालीबाल फील्ड का उद्घाटन किया गया।

➡थाना परिसर में वृक्षारोपण किया तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु सभी लोगों को प्रोत्साहित किया,वातावरण को स्वच्छ बनाये रखने हेतु अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने हेतु निर्देशित किया गया ।

प्रेस नोट

कृपया अवगत कराना है कि ***दिनांक 26.02.2025 को महाशिवरात्रि त्यौहार के दृष्टिगत*** यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने व सुचारु रुप से संचालित करने हेतु जनपद आजमगढ़ से निम्न डायवर्जन किया जाना आवश्यक है।

महाशिवरात्रि त्यौहार के दृष्टिगत *भवरनाथ मंदिर* पर आने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए निम्न रूट डायवर्जन दिनांक 26.02.2025 दिन बुद्धवार प्रातः03.00 बजे से रात्रि 22.00 बजे किया जायेगा जो निम्नवत है।

1- गोरखपुर की तरफ से आने व जाने वाले सभी प्रकार के भारी वाहन व कामर्शियल वाहन हाफिजपुर चौराहा, वैठौली तिराहा, सिधारी हाइड्रिल चौराहा, नरौली तिराहा होते हुए अपने गंतब्य को जायेगी।

2- बिलरियागंज की तरफ से आने वाले सभी भारी वाहन व कामर्शियल वाहन हाफिजपुर चौराहा, वैठौली तिराहा, सिधारी हाइड्रिल चौराहा, नरौली तिराहा होते हुए अपने गंतब्य को जायेगी।

3- फैजाबाद रोड से आने वाले सभी प्रकार के भारी वाहन व कामर्शियल वाहन भवरनाथ न आकर फोर-लेन होते हुए अपने गन्तव्य को जायेंगे।

4- बवाली चौराहे से करतालपुर तिराहे की तरफ आने वाले सभी प्रकार के भारी वाहन व कामर्शियल वाहनों को जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

5- नरौली तिराहा से शहर क्षेत्र की तरफ आने वाले वाले सभी प्रकार के भारी वाहन व कामर्शियल वाहनों का जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

नोट- यह व्यवस्था दिनांक 26.02.2025 बुद्धवार को प्रातः 03.00 बजे से दिनांक 26.02.2025 बुद्धवार शाम 20.00 बजे तक लागु रहेगी।